

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग छिन्दवाड़ा

—: निविदा विज्ञापित क्रमांक—08 —:

नि0क0 / 8 / निविदा / ग्रा0यां0से0 / 2009—10

छिन्दवाड़ा, दिनांक 26 / 11 / 2009

म0प्र0 के राज्यपाल की ओर से निम्नांकित कार्य हेतु मोहरबंद निविदायें फार्म "ए" पर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं म0प्र0 के कार्य विभागों में सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से सिविल एवं सेनेटरी कार्य हेतु ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की दिनांक 01.09.2003 से प्रभावशील तथा निविदा विज्ञापित जारी होने की दिनांक तक संशोधित दर अनुसूची के आधार पर तथा आंतरिक विद्युतीकरण कार्य हेतु ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की दिनांक 02.10.95 से प्रभावशील दर अनुसूची के आधार पर कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में दिनांक 16.12.2009 को दोपहर 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। कोरे निविदा प्रपत्र दिनांक 15.12.09 तक कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

क्र.	कार्य का नाम	वि0ख0	अनु. लागत (लाखों में)	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि (बर्षाकाल सहित)	ठेकेदार की श्रेणी	आमंत्रण क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ग्रामीण हॉट का निर्माण पौजरा	चौरई	9.62	19240.00	750.00	6 माह	अ-1 एवं उच्च श्रेणी	प्रथम
2.	ग्राम मोहली में स्टापडेम निर्माण	अमरवाड़ा	3.06	6120.00	750.00	4 माह	बी एवं उच्च श्रेणी	प्रथम
3.	ग्राम घाघरा में स्टापडेम निर्माण	अमरवाड़ा	2.75	5500.00	750.00	4 माह	बी एवं उच्च श्रेणी	प्रथम
4.	यात्री प्रतिकालय निर्माण 1.गिरिजामाई तामिया, 2. पाण्डुपिपरिया, 3. खुनियाफुटान, 4.देलाखारी, 5.अन्होनी मार्ग झिरपा	तामिया	5.75	11500.00	750.00	5 माह	अ-1 एवं उच्च श्रेणी	प्रथम
5.	यात्री प्रतिकालय निर्माण 1.नीमढाना, 2.नागदेव, 3.मनकूघाटी, 4.गारादेही, 5.दमुआ	जुन्नारदेव	5.75	11500.00	750.00	5 माह	अ-1 एवं उच्च श्रेणी	प्रथम
6.	यात्री प्रतिकालय निर्माण 1.धरमी, 2. छाता(रातामाटी), 3.गौरपानी, 4. कोहपानी, 5.हड़ाई, 6.दूल्हादेवघाटी, 7.सुरलाखापा	हरई	8.05	16100.00	750.00	5 माह	अ-1 एवं उच्च श्रेणी	प्रथम
7.	यात्री प्रतिकालय निर्माण 1. पिपरियाटांडा, 2.गोहरगांव, 3. परसवाड़ा सर्वा	चौरई	3.45	6900.00	750.00	4 माह	बी एवं उच्च श्रेणी	प्रथम

निविदा की सामान्य शर्तें—

- डाक द्वारा प्रपत्र मंगवाने पर रू0 50 /—अतिरिक्त वास्तविक डाक व्यय देना होगा। डाक विलंब के लिये कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
- म0प्र0 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं म0प्र0 के कार्य विभागों में निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु सक्षम होंगे। अन्य कार्य विभागों में पंजीकृत ठेकेदार को निविदा स्वीकृति के पश्चात 15 दिवस के भीतर अनुबंध करने से पूर्व ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में सक्षम श्रेणी में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। समय—सीमा में पंजीयन न कराने की स्थिति में निविदा हेतु जमा अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी। ऐसे ठेकेदार जिन्होंने पूर्व में विभाग में कार्य लिये और अपूर्ण अवस्था में छोड़ दिये अथवा कार्य प्रारंभ ही नहीं किये उन्हें निविदा प्रपत्र विक्रय नहीं किये जावेगे। ठेकेदार द्वारा पंजीयन की मूल प्रति भागीदारी विलेख तथा पावर आफ अटर्नी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- निविदा कय करते समय पंजीयन की प्रतिलिपि एवं नवीन वैद्व सालवेंसी, आयकर पेन नम्बर, वाणिज्य कर विभाग का चुकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। उक्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर निविदा प्रपत्र विक्रय नहीं किये जावेगें।
- सर्शत कटी—फटी अथवा ओव्हर रायटिंग लिखाई की निविदा मान्य नहीं की जावेगी। ठेकेदार द्वारा स्थल निरीक्षण निविदा देने के पूर्व कर लेवे।
- निविदा स्वीकृत करने व अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार मुख्य अभियन्ता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/अधोहस्ताक्षर कर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
- निविदा कार्य में किसी भी प्रकार का विलंब होने पर अथवा किन्हीं भी परिस्थितियों में मूल्य वृद्धि देय नहीं होगी।
- अंतिम देयक के भुगतान के पूर्व खनिज गौंड संपदा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तभी अंतिम भुगतान किया जावेगा।
- ठेकेदार द्वारा प्रदत्त निविदा के साथ अमानत राशि प्रस्तुत करें। पूर्व निविदाओं की राशि समायोजित नहीं की जावेगी। अमानत राशि अलग से मोहरबंद लिफाफे में देनी होगी। यह राशि राष्ट्रीयकृत बैंक से जमा फिक्सडिपोजिट जो कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग छिन्दवाड़ा के पक्ष में देय हो तथा कार्यावधि के लिये जमा जो मान्य की जावेगी।
- कार्य में प्रयुक्त सामग्री का उपयोग संलग्न मेनडेटरी टेस्ट सूची अनुसार प्रयोग शाला परीक्षण कराये जाने के उपरान्त किया जावे।
- निर्माण कार्य के स्पेशिफिकेशन में फेरबदल करने का अधिकार कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा छिन्दवाड़ा को होगा।
- विभाग द्वारा निर्धारित स्पेशिफिकेशन के अनुसार निर्माण कार्य संपादित कराना अनिवार्य होगा।

12. निविदा से संबंधित किसी भी वाद-विवाद, बिना कारण बताये निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य अभियन्ता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/अधोहस्ताक्षर कर्ता का निर्णय अंतिम मान्य होगा।
13. श्रम संविदा एक्ट के अन्तर्गत वैध लेबर लायसेंस प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं निर्धारित दरों पर मजदूरी का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।
14. यात्री प्रतिकालयों का निर्माण कार्य आर्किटेक्ट से प्राप्त डिजाईन के आधार पर लोहे का सेक्शन के अनुसार ही संपादित किया जावेगा।
15. बिजली के कार्य हेतु टेकेदार के पास म0प्र0 लायसेंसिंग बोर्ड का "ए" क्लास लायसेंस होना आवश्यक है।

**कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
संभाग छिन्दवाड़ा**